

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक— 1320 / FP/UK/MIN/20690/ 2016 : देहरादून दिनांक: 05 नवम्बर, 2016

सेवा में,

श्री संदीप शर्मा  
सहायक वन प्रशासिक,  
भारत सरकार, पर्यावरण,  
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
पी.सी. डिवीजन, पर्यावरण भवन,  
सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधीरोड़, नई दिल्ली।

विषय:— जनपद—नैनीताल एवं उधमसिंह के अन्तर्गत बहने वाली नन्धौर एवं कैलाश नदी से 468.00 हे० वन भूमि में उप खनिज चुगान हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम को 10 वर्षों की अवधि के लिये अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:— भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली की पत्र संख्या 8-34/2006-एफ.सी.दिनांक 29-09-2016.

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं की सूचनायें उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी के पत्रांक 1447/12-1 दिनांक 03-11-2016 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा वांछित बिन्दुओं की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है जो निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है :-

1- भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के उक्त सन्दर्भित पत्र के बिन्दु संख्या-1 के अनुपालन में सम्बन्धित जिलाधिकारियों से प्राप्त FRA से सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों की प्रति संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-1)

2- बिन्दु संख्या-2 के अनुपालन में जनपद—नैनीताल एवं उधमसिंह के अन्तर्गत बहने वाली नन्धौर एवं कैलाश नदी से उप खनिज चुगान के एवज में विभिन्न वर्षों किये गये क्षतिपूरक वृक्षारोपण की सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-2)

3- बिन्दु संख्या-3 के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि नन्धौर एवं कैलाश नदी से उप खनिज चुगान से रू० 21025.62 लाख मात्र के राजस्व की प्राप्ति हुई है। प्राप्त राजस्व के सम्बन्ध में प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन नन्धौर), उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा विवरण प्रति उपलब्ध करायी गई है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-3) उपरोक्त के अतिरिक्त प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि नन्धौर एवं कैलाश नदी में रिवर ट्रेनिंग कार्यों पर रू० 1805.00 लाख की धनराशि व्यय है।

अतः अनुरोध है कि विषयोंकित प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न:—यथोपरि।

भवदीय,

(विनोद कुमार)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या:— / FP/UK/MIN/20690/ 2016 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

2- प्रभागीय वन विकास, प्रबन्धक, नन्धौर खनन, उत्तराखण्ड वन विकास निगम। हल्द्वानी।

(विनोद कुमार)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

**FORM-II**  
(For projects other than linear projects)

**Government of Uttarakhand**

**Office of the District Collector Nainital**

No - १७६

Dated - १३.१०.१६

**To WHOSOEVER IT MAY CONCERN**


In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 378 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Uttarakhand Forest Development Corporation (name of user agency) for Extraction of RBM from Nandhaur/Kailash river (purpose for diversion of forest land) in Nainital District falls within jurisdiction of lakhanmandi, Aamkheda, Khanwalkatan, and Nayagaonkatan villages in Haldwani Tehsils.

It is further certified that:

- (a) The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 378 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committees, Gram Sabahs Sub-Division level Committees and the District Level Committee are enclosed as annexure I to annexure XI.
- (b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabah of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) The each of concerned Gram Sabahs has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabah of Lakhanmandi, Aamkheda, Khanwalkatan and Nayagaonkatan village is enclosed as annexure IV to annexure XI.
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabah present;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabah's have given their consent to it;
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA.

Encl: As above.

Signature

  
 (Deepak Rawat)  
 District Collector Nainital

FORM-II  
(For projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Udham Singh Nagar

No -

Dated - 24.10.16

To WHOSOEVER IT MAY CONCERN


In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 90 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Uttarakhand Forest Development Corporation (name of user agency) for Extraction of RBM from Nandhaur/Kailash river (purpose for diversion of forest land) in Udham Singh Nagar District falls within jurisdiction of Ukroli, Sadhunagar and Kalyanpur villages in Sitarganj Tehsils.

It is further certified that:

- (a) The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 90 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabah, Sub-Division Level Committee and the District Level Committee are enclosed as annexure I to annexure IX.
- (b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabah of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) The each of concerned Gram Sabah (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabah of Ukroli, Sadhunagar and Kalyanpur village is enclosed as annexure IV to annexure IX.
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabah present;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabah's have given their consent to it;
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA.

Encl: As above.

Signature

  
24.10.16

( CHANDRESH KUMAR )  
District Collector Udham Singh Nagar

जिलाधिकारी  
उधम सिंह नगर

**प्रारूप-30.1**  
**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER**  
**DISTRICT Nainital (U.K.)**


Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Nainital District constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr./Mrs./Miss. Deepak Rawat I.A.S deputy commissioner, ..Nainital.. on dated 4.11.16... at time .....at ..... in which application claiming rights in Nandhau/Kailash Area measuring 378 Hect. for the construction of Extraction of RBM forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Haldwani sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Nainital.

Dated: 4.11.16

  
Deputy Commissioner-cum-Chairman  
District Level Committee

**जिलाधिकारी**  
**नैनीताल**

प्रारूप-30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER  
DISTRICT Udham Singh Nagar (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Udham Singh Nagar District constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr./Mrs./Miss. A. K. Gupta, I.A.S deputy commissioner, U. S. Nagar on dated 6.1.16 at time .....at ..... in which application claiming rights in Nandhau/Kailash Area measuring 90 Hect. for the construction of Extraction of RBM forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Sitarganj sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: NS Nagar  
Dated: 6.1.16

A. K. Gupta  
Deputy Commissioner-cum-Chairman  
District Level Committee

**डिप्टी कमिश्नर**  
उधम सिंह नगर (सापुर)

प्रारूप-30.2

परियोजना का नाम :-

कार्यालय उप जिलाधिकारी, दखनी  
 अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र  
 उपखण्ड स्तरीय समिति, दखनी

उपखण्ड दखनी परिक्षेत्र के अन्तर्गत 378 हे० आरक्षित वन भूमि, --- हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि .....हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल --- हे० वन भूमि ) का प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील दखनी) की दिनांक 18/12/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री पंकज उपाध्याय उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री मंगलनाथ उप जिलाधिकारी दखनी अध्यक्ष
- 2- श्री पंकज उपाध्याय उप प्रभागीय वनाधिकारी दखनी सदस्य
- 3- श्री पंकज उपाध्याय प्रशासक समाज कल्याण अधिकारी दखनी सचिव/सचिव
- 4- श्री पंकज उपाध्याय बी०डी०सी० क्षेत्र दखनी सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

परियोजना हेतु 378 हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, दखनी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड दखनी परिक्षेत्र के अन्तर्गत परियोजना के निर्माण हेतु 378 हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारों से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
 तहसील-.....  
 जनपद दखनी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, दखनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

पंकज उपाध्याय  
 उप प्रभागीय वनाधिकारी  
 तहसील दखनी जनपद दखनी

तहसील-.....  
 जनपद दखनी

पंकज उपाध्याय  
 सहायक तहसील अधिकारी  
 दखनी (तहसील)

परियोजना का नाम :-

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम नारदगढ़  
तहसील दलगाँव, जिला मैनाना

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद शुभगढ के अन्तर्गत नन्देरी के विभाग में परियोजना के निर्माण हेतु (779 हे0 आरक्षित वन भूमि,            हे0 सिविल सोयम भूमि,            हे0, वन पंचायत भूमि            हे0) अर्थात् कुल 779 हे0 वन भूमि का 372/2005 वन वि० सं० 321, निगम विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नारदगढ़ द्वारा दिनांक 23.12.14 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नारदगढ़ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 372/2005 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिखे जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।  
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


H0 / - P. S. H.  
ग्राम सचिव/पंचायत बजेटा  
सदस्य क्षेत्र पंचायत  
01-साखन मण्डो.  
ग्राम नारदगढ़  
कमप्लि शिवांग  
ग्राम पंचायत नारदगढ़  
वि० सं० इलाहाबादी (नैनीताल)

नोट :- विशेष रूप से इलाहाबादी  
आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त पत्र में दिया जाय।  
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक 18/12/2014 को ग्राम सभा की सम्मन बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बनारस

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित परिचय ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर   |
|---------|---|-------------|
| 1       | श्री. राजेश कुमार                               | राजेश कुमार |
| 2       | श्री. अशोक कुमार                                | अशोक कुमार  |
| 3       | श्री. विनोद कुमार                               | विनोद कुमार |
| 4       | श्री. अशोक कुमार                                | अशोक कुमार  |
| 5       | श्री. अशोक कुमार                                | अशोक कुमार  |
| 6       | श्री. अशोक कुमार                                | अशोक कुमार  |
| 7       | श्री. अशोक कुमार                                | अशोक कुमार  |
| 8       | श्री. अशोक कुमार                                | अशोक कुमार  |
| 9       | श्री. अशोक कुमार                                | अशोक कुमार  |
| 10      | श्री. अशोक कुमार                                | अशोक कुमार  |
| 11      | श्री. अशोक कुमार                                | अशोक कुमार  |
| 12      | श्री. अशोक कुमार                                | अशोक कुमार  |
| 13      | श्री. अशोक कुमार                                | अशोक कुमार  |
| 14      | श्री. अशोक कुमार                                | अशोक कुमार  |
| 15      | श्री. अशोक कुमार                                | अशोक कुमार  |
| 16      | श्री. अशोक कुमार                                | अशोक कुमार  |
| 17      | श्री. अशोक कुमार                                | अशोक कुमार  |
| 18      | श्री. अशोक कुमार                                | अशोक कुमार  |
| 19      | श्री. अशोक कुमार                                | अशोक कुमार  |
| 20      | श्री. अशोक कुमार                                | अशोक कुमार  |

HO   
 ग्राम-पंचायत (बनारस) 18/12/2014  
 जनसैनिक  
 प्रधान  
 ग्राम सभा के अध्यक्ष का  
 दि. 18.12.2014 (बनारस)



परियोजना का नाम :-

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम (आमरेवड़ा) चौरगलिया  
तहसील (हल्दानी), जिला (निनीताल)

उत्तराखण्ड में जनपद (निनीताल) के अन्तर्गत (आमरेवड़ा) केलाखण्ड परियोजना के निर्माण हेतु (4.72) हे० आरक्षित वन भूमि, (---) हे० सिविल सोयम भूमि..... हे० वन पंचायत भूमि (---) हे०) अर्थात् कुल (4.72) हे० वन भूमि का (---) हे० विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत (---) द्वारा दिनांक (23.12.17) को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम (आमरेवड़ा) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि (---) प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/- (---) बजेठा  
ग्राम सचिव क्षेत्र पंचायत  
01-लाखन मण्डी,  
विकास खण्ड हल्दानी

ह०/-  
ग्राम प्रधान  
(---)  
ग्राम पंचायत चौरगलिया (---)  
दि० २३/१२/१७

नोट :- \* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।  
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक 23/12/14...को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत आमखेड़ा (चोरगलिया)

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर      |
|---------|--|----------------|
|         | करमेल सिंह                                       | करमेल सिंह     |
|         | मुवन चन्द  | B. Polam       |
|         | इन्दजीव सिंह                                     | Indrajiv       |
|         | अमरजीव सिंह                                      | अमरजीव         |
|         | पीताम्बर दय                                      | P. Bhatnagar   |
|         | शोपिल दय   | Shopin         |
|         | आन्नद बुधानी                                     | Annad          |
|         | करीब दय  | करीब दय        |
|         | लाली दय  | Laxmi Dutt     |
|         | हेम चन्द   | Hem Chander    |
|         | राजेंद्र सिंह                                    | Rajendra Singh |
|         | लोकमणी जोशी                                      | लोकमणी         |
|         | सुरेश राम  | सुरेश राम      |
|         | हर राम   | हर राम         |
|         | शेर सिंह   | शेर सिंह       |
|         | माधुपाल सिंह                                     | माधुपाल        |
|         | शंकर दत्त  | Shankar Dutt   |
|         | हरीश पन्त  | हरीश पन्त      |
|         | सुरेश जोशी                                       | सुरेश जोशी     |

ह0/-

S. Kaur  
प्रधान

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत चोरगलिया(आमखेड़ा)

वि०ख० हल्द्वानी (नैनीताल)

परियोजना का नाम :-

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम खजाल कला  
तहशील हथाना जिला नैनीताल

अनापत्ति प्रमाण पत्र  
उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत खजाल कला परियोजना के निर्माण हेतु (372 हे० आरक्षित वन भूमि, — हे० सिविल सोयम भूमि, — हे० वन पंचायत भूमि — हे०) अर्थात् कुल 372 हे० वन भूमि का — विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत खजाल कला द्वारा दिनांक 23.11.19 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम खजाल कला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि — प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/- P. Jaisla  
ग्राम सचिव पंकज बजेठा  
सदस्य क्षेत्र पंचायत  
01-साखन मण्डी  
विकास खण्ड हथाना

ह०/ —  
ग्राम प्रधान  
11-खजाल कला कला  
1-काठ कला, हथाना (नैनीताल)

नोट :- \* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।  
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक 23/12/14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कावाला

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---------|--|-----------|
| 1.      | श्री गणेश शं. महाराज                             |           |
| 2.      | श्री गणेश शं. शर्मा                              |           |
| 3.      | श्री गणेश शं. नारायण                             |           |
| 4.      | श्री गणेश शं. हरकाण्ड                            |           |
| 5.      | श्री गणेश शं. हरकाण्ड                            |           |
| 6.      | श्री गणेश शं. शर्मा                              |           |
| 7.      | श्री गणेश शं. राम शर्मा                          |           |
| 8.      | श्री गणेश शं. शर्मा                              |           |
|         |  |           |
|         |  |           |
|         |  |           |

हस्ताक्षर  
 नयान,  
 HO/-  
 ग्राम पंचायत कावाला  
 ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम :-

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम नया गोंब कटान  
तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल

अनापत्ति प्रमाण पत्र नया गोंब कटान परियोजना  
उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत नया गोंब कटान परियोजना  
के निर्माण हेतु 570 हे० आरक्षित वन भूमि, 570 हे० सिविल सोयम भूमि, 570 हे०  
वन पंचायत भूमि 570 हे०) अर्थात् कुल 570 हे० वन भूमि का 570 हे० विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय  
द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नया गोंब कटान द्वारा दिनांक 23.11.14 को  
सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के  
संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार  
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर  
आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट  
किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का  
कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु  
आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित  
किया गया कि ग्राम नया गोंब कटान के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि  
570 हे० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर  
कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/ [Signature]  
ग्राम सचिव बजेटा  
सदस्य क्षेत्र पंचायत  
01-लाखन मण्डी,  
विकास खण्ड हल्द्वानी

[Signature]  
प्रयोक्ता (नया गोंब कटान)  
ग्राम पंचायत नया गोंब कटान  
तहसील हल्द्वानी (नैनीताल)

नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो  
तदनुसार उसका वितरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।  
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता  
एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक 23/12/19 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत नया गाँव कटान

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर   |
|---------|--|-------------|
| 1.      | श्रीमती पुष्पा देवी व श्री माधवानन्द             | पुष्पा देवी |
| 2.      | श्री लखदीश सिंह व श्री मोहन सिंह                 | लखदीश सिंह  |
| 3.      | श्री दुर्गा सिंह व श्री लाल सिंह                 | दुर्गा सिंह |
| 4.      | श्री बिलोक सिंह व श्री लाल सिंह                  | बिलोक सिंह  |
| 5.      | श्री बीरज सिंह व श्री मोहन सिंह                  | बीरज सिंह   |
| 6.      | श्री सुरेज चन्द व श्री परमानन्द                  | सुरेज चन्द  |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |

Hemlata  
 (हेमलता फर्बवान)  
 प्रधान  
 नया गाँव कटान  
 ग्राम पंचायत (जेनीताल)

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :-

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम खिना

तहसील खिना जिला उन्नाव

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उन्नाव के अन्तर्गत खिना परियोजना के निर्माण हेतु  
(90 हे0 आरक्षित वन भूमि, 90 हे0 सिविल सोयम भूमि, 90 हे0 वन पंचायत भूमि  
हे0) अर्थात् कुल 90 हे0 वन भूमि का उक्त क्षेत्र विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार,  
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत खिना द्वारा दिनांक 11/12/2011 को सम्पन्न ग्राम  
सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र  
निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत  
आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \*  
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर  
आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु  
आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि  
ग्राम खिना के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उक्त क्षेत्र प्रयोक्ता एजेन्सी  
को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

H0/-  
ग्राम सचिव  
मुहर सहित

मंगे देवी देवी  
सदस्य  
ग्राम पंचायत खिना  
जिला उन्नाव

पार्वती देवी  
ग्राम प्रधान/सदस्य  
मुहर सहित

नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका  
विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाये।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध  
कराया जायेगा।

Parvati Devi  
ग्राम प्रधान  
खिना  
जिला उन्नाव

प्रारूप-30.4

दिनांक 21/12/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत (लि लोना)

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर   |
|---------|--|-------------|
| 1       | प्राथमिक   | [Signature] |
| 2       | मानदर सिंह                                       | [Signature] |
| 3       | मेहनत (गुला)                                     | [Signature] |
| 4       | इस प्रीत सिंह                                    | [Signature] |
| 5       | लालत माहला                                       | [Signature] |
| 6       | हरेश सिंह  | [Signature] |
| 7       | महाराज सिंह                                      | [Signature] |
| 8       | प्राथमिक   | [Signature] |
| 9       | तेज सिंह   | [Signature] |
| 10      | राजेश सिंह                                       | [Signature] |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |

Parvati Devi  
सदस्य

क्षेत्र पंचायत नकुलिया  
वि.ख.सितारगंज (ज.वि.नगर)

मंगेश्वरी देवी  
सदस्य  
जिला पंचायत नकुलिया  
वि.ख.सितारगंज (ज.वि.नगर)

पार्वती देवी  
ग्राम प्रधान  
ग्राम पंचायत नकुलिया  
वि.ख.सितारगंज (ज.वि.नगर)



प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :-

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कल्याणपुर

तहसील कल्याणपुर जिला कल्याण

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद कल्याणपुर के अन्तर्गत \_\_\_\_\_ परियोजना के निर्माण हेतु  
(~~10~~ हे०) आरक्षित वन भूमि \_\_\_\_\_ हे० सिविल सोयम भूमि \_\_\_\_\_ हे०, वन पंचायत भूमि -  
हे०) अर्थात् कुल \_\_\_\_\_ हे० वन भूमि का \_\_\_\_\_ विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार,  
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कल्याणपुर द्वारा दिनांक 21/11/20 को सफल ग्राम  
सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र  
निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत  
आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \*  
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर  
आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अनिश्चित परियोजना के निर्माण हेतु  
आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि  
ग्राम \_\_\_\_\_ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि इस वन भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी  
को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई अनापत्ति नहीं है।  
प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह०/-  
ग्राम सचिव  
मुहर सहित

सुनेश्वरी देवी  
ग्राम सचिव  
कल्याणपुर

ह०/- B/W  
ग्राम प्रधान/सचिव  
मुहर सहित

नोट - यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका  
विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाये।  
उक्त प्रपत्र जय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध  
कराया जायेगा।

Banshi Kumar

जय जिलाधिकारी  
कल्याणपुर

प्रारूप-30.4

दिनांक 12/12/11 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कल्याण 31

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर   |
|---------|--|-------------|
| 1       | शुभाकर राम शर्मा                                 | [Signature] |
| 2       | शारदा देवी                                       | [Signature] |
| 3       | अज्ञेय सिंह                                      | [Signature] |
| 4       | शरणा 1/1/1/1/1/1/1                               | [Signature] |
| 5       | देवी 1/1/1/1/1/1/1                               | [Signature] |
| 6       | रमेश 1/1/1/1/1/1/1                               | [Signature] |
| 7       | रमेश 1/1/1/1/1/1/1                               | [Signature] |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |

Parasit Kumar  
सदस्य  
क्षेत्र पंचायत नकुलिया  
वि.स. सिलारमंज (उ.सि.नगर)

मंजी देवी  
सदस्य  
जिला पंचायत नकुलिया  
वि.स. सिलारमंज (उ.सि.नगर)

H0/- [Signature]  
ग्राम प्रधाम  
क्षेत्र पंचायत नकुलिया  
वि.स. सिलारमंज (उ.सि.नगर)

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :-

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम उरुली

तहसील पतीगोडा जिला उदुपी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उदुपी के अन्तर्गत \_\_\_\_\_ परियोजना के निर्माण हेतु  
(90 हे0 आरक्षित वन भूमि, \_\_\_\_\_ हे0 सिविल सोयम भूमि, \_\_\_\_\_ हे0, वन पंचायत भूमि \_\_\_\_\_  
हे0) अर्थात् कुल \_\_\_\_\_ हे0 वन भूमि का \_\_\_\_\_ विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार,  
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत उरुली द्वारा दिनांक 13/11/11 को सम्पन्न ग्राम  
सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र  
निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत  
आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \*  
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर  
आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु  
आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि  
ग्राम \_\_\_\_\_ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी  
को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।  
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-  
ग्राम सचिव  
मुहर सहित

मंगेश्वरी देवी  
सदस्य  
जिला पंचायत नकुशिता

परमजीत चौधरी  
ग्राम प्रधान  
ग्राम पंचायत उरुली  
जिला पंचायत नकुशिता

नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी को निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका  
विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाये।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध  
कराया जायेगा।

Parmit Kaur  
जिला पंचायत नकुशिता

जिला पंचायत नकुशिता  
जिला पंचायत नकुशिता

प्रारूप-30.4

दिनांक 13/11/20 को ग्राम सभा की सम्मन बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ...  
झरना

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर   |
|---------|--|-------------|
| 1       | श्री. गिरीश शर्मा                                | गिरीश शर्मा |
| 2       | श्री. अशोक शर्मा                                 | अशोक शर्मा  |
| 3       | " अशोक शर्मा                                     | अशोक शर्मा  |
| 4       | " अशोक शर्मा                                     | अशोक शर्मा  |
| 5       | " अशोक शर्मा                                     | अशोक शर्मा  |
| 6       | " अशोक शर्मा                                     | अशोक शर्मा  |
| 7       | " अशोक शर्मा                                     | अशोक शर्मा  |
| 8       | " अशोक शर्मा                                     | अशोक शर्मा  |
| 9       | " अशोक शर्मा                                     | अशोक शर्मा  |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |

Poojit Kaur  
 सदस्य  
 क्षेत्र पंचायत कुलिया  
 वि.स.सि.तारानाथ (इ.सि. नगर)

श्री. अशोक शर्मा  
 अध्यक्ष  
 जिला पंचायत कुलिया  
 वि.स.सि.तारानाथ (इ.सि. नगर)

परमवीर शर्मा  
 परमजल कार  
 जिला प्रधान  
 ग्राम पंचायत जकरौली  
 वि.स.सि.तारानाथ (इ.सि. नगर)

प्रारूप-30.2

परियोजना का नाम :-

कार्यालय उप जिलाधिकारी, मिसौरगंज  
 अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र  
 उपखण्ड स्तरीय समिति, मिसौरगंज

उपखण्ड मिसौरगंज परिक्षेत्र के अन्तर्गत 90.0 हे० आरक्षित  
 वन भूमि हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 90.0 हे० वन भूमि ) का  
 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य  
 परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील  
मिसौरगंज) की दिनांक 17/12/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008  
 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री वि० डी० मिश्रा उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड  
 स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री वि० डी० मिश्रा उप जिलाधिकारी मिसौरगंज अध्यक्ष
- 2- श्री आरुण कुमार उप प्रमाणीय वनाधिकारी मिसौरगंज अध्यक्ष
- 3- श्री जगजित सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी मिसौरगंज सदस्य/सचिव
- 4- श्री जगजित सिंह सी०डी०सी० क्षेत्र मिसौरगंज सदस्य

वि० डी० मिश्रा  
 उप जिलाधिकारी  
 अध्यक्ष  
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
 मिसौरगंज

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी वि० डी० मिश्रा की अनुमति से बैठक की  
 कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

परियोजना हेतु 90.0 हे० वन भूमि प्रयोक्ता

एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार  
 का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर  
 सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रमाणीय वनाधिकारी, मिसौरगंज द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन  
 अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय  
 सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया  
 गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन  
 अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड मिसौरगंज परिक्षेत्र के अन्तर्गत  
 परियोजना के निर्माण हेतु 90.0 हे० वन भूमि प्रयोक्ता  
 एजेन्सी को जगह में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
 तहसील-.....  
 जनपद-.....

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, मिसौरगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील .....  
 जनपद .....

वि० डी० मिश्रा  
 सदस्य

क्षेत्र पंचायत नकुलिया  
 वि० डी० मिश्रा गंज (अनुसूचित नगर)

वि० डी० मिश्रा  
 उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
 मिसौरगंज

वि० डी० मिश्रा  
 सहायक समाज कल्याण अधिकारी  
 मिसौरगंज

नन्धौर क्षतिपूरक वनीकरण के अन्तर्गत विगत दस वर्षों में वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक रोपण का विवरण, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

| वर्ष    | रन्ज का नाम        | स्थल का नाम                              | क्षेत्रफल (है०) | किस्म रोपण          | Latitude       | Longitude       |
|---------|--------------------|--|-----------------|---------------------|----------------|-----------------|
| 2010-11 | बाराकोली           | बाराकोली "अ"<br>प्लाट 88 भाग             | 07.00           | अयान्त्रिक(बांस)    | N28 55' 02.09" | E79 41'37.70"   |
|         | "-                 | बाराकोली "अ"<br>प्लाट 55,56,57 भाग       | 15.00           | "-                  | N28 56' 52.08" | E79 40'44.52"   |
|         | "-                 | बाराकोली "अ"<br>N-3(I)                   | 20.00           | "-                  | N28 55' 25.68" | E79 41'17.94"   |
|         | "-                 | बाराकोली "अ"<br>प्लाट प्लाट-48           | 15.00           | "-                  | N28 59' 28.05" | E79 38'40.74"   |
|         | "-                 | बाराकोली "अ"<br>प्लाट प्लाट-86,87<br>भाग | 15.00           | "-                  | N28 55' 07.26" | E79 40'41.40"   |
|         | "-                 | बाराकोली "अ"<br>प्लाट 85                 | 10.00           | "-                  | N28 55' 38.02" | E79 41'17.88"   |
|         | "-                 | बाराकोली "अ"<br>प्लाट 58 भाग-1           | 15.00           | "-                  | N28 57' 03.74" | E79 40'51.30"   |
|         |                    | <b>योग</b>                               | <b>97.00</b>    |                     |                |                 |
| 2011-12 | बाराकोली           | बाराकोली "अ"<br>प्लाट N-3                | 20.00           | अयान्त्रिक(बांस)    | N28 55' 11.08" | E79 40' 95.40 " |
|         | दक्षिणी<br>जौलासाल | प० जौलासाल कक्ष<br>सं०-3                 | 10.00           | "-                  | N29 03' 08.88" | E79 52' 16.30"  |
|         | "--"               | बैड़ा कक्ष सं० 1 (ब)                     | 10.00           | "-                  | N29 02' 19.40" | E79 52' 00.40"  |
|         | "--"               | पूर्वी जौलासाल कक्ष<br>सं०-5 (ब)         | 20.00           | अयान्त्रिक(मिश्रित) | N29 02' 58.30" | E79 51' 29.17"  |
|         | "--"               | सुदलीमठ 11 (ब)                           | 20.00           | "--"                | N29 01' 46.10" | E79 54' 40.09"  |
|         | "--"               | सुदलीमठ 11<br>पार्ट-1                    | 10.00           | "--"                | N29 01' 55.10" | E79 54' 59.00"  |
|         | "--"               | पश्चिमी जौलासाल<br>कक्ष-7                | 10.00           | "--"                | N29 02' 05.47" | E79 48' 09.70"  |
|         | "--"               | सुदलीमठ कक्ष-11<br>भाग-2                 | 10.00           | "--"                | N29 01' 55.80" | E79 55' 11.20"  |
|         | "--"               | पूर्वी जौलासाल कक्ष<br>5 ब               | 10.00           | "--"                | N29 02'50.30"  | E79 48' 29.17"  |
|         | रनसाली             | कलेगा-1                                  | 15.00           | यान्त्रिक बीज बु०   | N29 03' 35.10" | E79 44' 25.40"  |
|         | "--"               | नन्धौर पश्चिमी<br>तट-2 घुसापुर           | 10.00           | "--"                | N29 04' 45.70" | E79 41' 39.50"  |
|         | "--"               | कैलाश 1 पूर्वी तट<br>भाग-1               | 10.00           | "--"                | N29 04' 27.30" | E79 41' 43.80"  |
|         | "--"               | कैलाश 1 पूर्वी तट<br>भाग-2               | 10.00           | "--"                | N29 04' 15.90" | E79 41' 43.60"  |
|         | "--"               | कैलाश-1 पूर्वी तट<br>भाग-1               | 45.00           | अयान्त्रिक(मिश्रित) | N29 03' 16.50" | E79 41' 29.30"  |
|         | "--"               | नन्धौर पश्चिमी तट<br>दुबेल बैड़ा 2       | 10.00           | "--"                | N29 06' 41.00" | E79 42' 30.50"  |
|         | किशनपुर            | रैखाल प्लाट 27 अ                         | 25.00           | अयान्त्रिक(मिश्रित) | N29 03' 39.01" | E79 41' 19.80"  |
|         | "--"               | रैखाल प्लाट 27 अ                         | 5.00            | "--"                | N29 04' 30.01" | E79 41' 34.60"  |
|         | "--"               | रैखाल प्लाट 27 ब                         | 10.00           | "--"                | N29 03' 24.01" | E79 41' 29.00"  |
|         |                    | <b>योग</b>                               | <b>260.00</b>   |                     |                |                 |

|         |                  |                            |        |   |                |                |
|---------|------------------|----------------------------|--------|---|----------------|----------------|
| 2014-15 | आमपोखरा          | शिवनाथपुर-3व4              | 10.00  | अयांत्रिक मिश्रित                         | N29 21' 23.00" | E78 59' 18.50" |
|         | आमपोखरा          | शिवनाथपुर-09               | 10.00  | —"  | N29 21' 48.04" | E79 00' 16.10" |
|         | आमपोखरा          | शिवनाथपुर-21               | 10.00  | —"  | N29 21' 58.30" | E79 00' 13.30" |
|         | बैलपडाव          | गैबुआ-42 भाग               | 9.00   | —"  | N29 18' 05.20" | E79 10' 10.00" |
|         | बैलपडाव          | गैबुआ-09                   | 15.00  | —"  | N29 17' 09.02" | E79 08' 27.80" |
|         | रामनगर           | आमपानी-11                  | 10.00  | —"  | N29 17' 26.80" | E79 04' 25.50" |
|         | रामनगर           | आमपानी-एन 1                | 20.00  | अयांत्रिक मिश्रित                         | N29 17' 21.90" | E79 05' 12.10" |
|         | रामनगर           | ज्वालावन-4                 | 20.00  | यांत्रिक बीज बु0<br>/अयांत्रिक<br>मिश्रित | N29 16' 33.70" | E79 07' 48.90" |
|         | रामनगर           | ज्वालावन-4 भाग             | 20.00  | —"  | N29 16' 33.40" | E79 07' 25.60" |
|         | उत्तरी<br>जसपुर  | जसपुर-40                   | 15.00  | अयांत्रिक मिश्रित                         | N29 15' 18.70" | E79 05' 24.80" |
|         | उत्तरी<br>जसपुर  | जसपुर-51(1)                | 18.00  | —"  | N29 22' 58.90" | E78 53' 47.40" |
|         | उत्तरी<br>जसपुर  | जसपुर-51(2)                | 12.00  | —"  | N29 23' 13.10" | E78 54' 06.90" |
|         | दक्षिणी<br>जसपुर | जसपुर-22                   | 15.00  | —"  | N29 22' 58.70" | E78 53' 45.60" |
|         | —"               | जसपुर-30अ                  | 10.00  | —"  | N29 21' 47.20" | E78 53' 17.60" |
|         | —"               | जसपुर-30ब                  | 10.00  | —"  | N29 16' 27.30" | E78 53' 16.00" |
|         | —"               | जसपुर-29(3)                | 20.00  | —"  | N29 16' 17.70" | E78 53' 27.60" |
|         | रामनगर           | गुलजारपुर-9ब               | 10.00  | —"  | N29 17' 16.30" | E78 53' 16.30" |
|         |                  | योग                        | 234.00 |   |                |                |
| 2015-16 | किशनपुर          | तूनीखाल प्लाट सं0<br>7     | 12.00  | यांत्रिक यूके0<br>क्लोनल                  | N29 02' 35.74" | E79 37' 21.11" |
|         |                  | तूनीखाल अ प्लाट<br>सं0 20  | 12.50  | यांत्रिक बीज<br>बुवाई                     | N29 03' 47.41" | E79 37' 07.09" |
|         |                  | तूनीखाल प्लाट सं0<br>16 अ  | 26.50  | यांत्रिक बीज<br>बुवाई                     | N29 03' 32.83" | E79 36' 51.25" |
|         | रनसाली           | रनसाली कक्ष-1 प्लौट<br>9   | 20.00  | यांत्रिक यूके0<br>क्लोनल                  | N29 01' 56.00" | E79 42' 42.80" |
|         | बाराकोली         | बाराकोली अ प्लाट<br>सं0 30 | 29.40  | अयान्त्रिक(मिश्रित)                       | N28 56' 45.30" | E79 37' 30.20" |
|         |                  | बाराकोली अ प्लाट<br>सं0 31 | 24.70  | —"  | N28 56' 40.10" | E79 37' 56.40" |
|         |                  | बाराकोली अ प्लाट<br>सं0 32 | 29.40  | —"  | N28 56' 54.90" | E79 38' 08.10" |
|         |                  | बाराकोली अ प्लाट<br>सं0 36 | 29.40  | —"  | N28 56' 55.70" | E79 37' 37.10" |
|         |                  | बाराकोली अ प्लाट<br>सं0 37 | 25.66  | —"  | N28 57' 17.60" | E79 37' 53.80" |
|         |                  | योग                        | 209.56 |   |                |                |
|         |                  | कुलयोग                     | 800.56 |   |                |                |

वन क्षेत्राधिकारी  
रनसाली वन क्षेत्र  
त. पू. वन प्रभाग हल्द्वारी

रनसाली वन क्षेत्र  
त. पू. वन प्रभाग

रनसाली वन क्षेत्र  
त. पू. वन प्रभाग

2010-10-3

2010-10-3

नन्दौर खनन प्रभाग में वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2015-16 तक वसूल राजस्व का मदवार विवरण (रूपयों में)

| क्रम सं० | राजस्व वसूली का विवरण      | विभाग का नाम  | 2007-08     | 2008-09     | 2009-10      | 2010-11      | 2011-12      | 2012-13      | 2013-14      | 2014-15      | 2015-16      | 2016-17      |
|----------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1        | राजस्व                     | राजस्व        | 11318199.00 | 26996943.00 | 60076087.00  | 47599056.00  | 58941786.00  | 83996280.10  | 199048332.19 | 146688757.83 | 122851011.76 | 52302639.34  |
| 1.1      | रायल्टी                    |               | 905481.00   | 2159772.00  | 4806084.00   | 3807124.00   | 4715337.00   | 6719703.38   | 15923876.89  | 11735101.75  | 9067980.35   | 1204780.79   |
| 1.2      | स्टाम्प शुल्क              |               | 12223680.00 | 29156715.00 | 64882171.00  | 51396180.00  | 63657123.00  | 90715983.48  | 214972209.08 | 158423869.58 | 131918992.11 | 53507620.43  |
| 2        | वन निगम                    | वन विकास निगम | 1221552.00  | 2914217.00  | 6487735.00   | 5139862.00   | 6366161.00   | 9071605.83   | 21497233.97  | 15842386.63  | 13170041.73  | 5279047.68   |
| 2.1      | लानाश                      |               | 7923634.00  | 17933884.00 | 33425283.51  | 33122279.75  | 41023451.51  | 54095618.19  | 158883494.67 | 140313191.12 | 114814078.98 | 28911438.53  |
| 2.2      | अवस्थापना व्यय             |               | 229903.00   | 520419.00   | 1188383.00   | 952025.00    | 1179314.00   | 3864960.83   | 7961946.27   | 5867550.95   | 2022844.40   | 0.00         |
| 2.3      | स्टाफ एवं श्रमिक कल्याण    |               | 1342500.00  | 2011240.00  | 4061600.00   | 3298200.00   | 4872435.00   | 5695575.00   | 8847725.00   | 6390500.00   | 4706975.00   | 1158800.00   |
| 2.4      | धर्मकांडा / तौल व्यय       |               | 10717589.00 | 23379760.00 | 45163001.51  | 42512366.75  | 53441361.51  | 7222759.85   | 197190399.91 | 168413628.70 | 134713940.11 | 35349286.21  |
| 3        | वन विभाग                   | वन विभाग      | 0.00        | 0.00        | 9974678.00   | 10271212.00  | 14246603.00  | 16924203.77  | 28945974.00  | 23291006.00  | 17863110.00  | 4875075.41   |
| 3.1      | क्षतिपूर्ति रोपण           |               | 0.00        | 0.00        | 12321635.00  | 11992845.00  | 14853769.00  | 21467921.77  | 49762506.00  | 36671194.00  | 18362850.00  | 2913154.75   |
| 3.2      | रिवर ट्रेनिंग              |               | 0.00        | 0.00        | 6063172.65   | 5901438.10   | 7309227.00   | 7956852.39   | 12341618.00  | 9095182.00   | 3135706.00   | 0.00         |
| 3.3      | सीनकन एवं जलौनी की आपूर्ति |               | 0.00        | 0.00        | 1846416.00   | 4698908.00   | 1610019.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 3.4      | पेनाल्टी                   |               | 0.00        | 0.00        | 30205901.55  | 32864403.10  | 38019618.00  | 46348977.93  | 91050098.00  | 69078732.00  | 39361666.00  | 7788230.16   |
|          | योग-( 3 )                  |               | 22941269.00 | 52536475.00 | 140251074.16 | 126772949.85 | 155118102.51 | 209292721.26 | 503212706.99 | 395896280.28 | 27540475.18  | 8698291.48   |
|          | योग-( 1+2+3 )              |               | 865414.00   | 2020985.00  | 4235388.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 416076752.53 | 333535073.40 | 105343427.98 |
| 11       | वैट @ 9 %                  | वार्षिक्य कर  | 23806683.00 | 54557450.00 | 144486462.16 | 126772949.85 | 155118102.51 | 209292721.26 | 503212706.99 | 416076752.53 | 333535073.40 | 105343427.98 |
| 12       | सकल योग                    | आयकर          | 634345.00   | 1488453.00  | 3536608.00   | 2969420.55   | 3716094.17   | 5090148.17   | 12359223.52  | 10351584.54  | 8342733.45   | 2634038.36   |
|          | आयकर दर 2.5 प्रतिशत        |               | 0.00        | 0.00        | 197340.73    | 156636.60    | 157527.69    | 181890.57    | 152289.08    | 177916.81    | 90712.60     | 23140.66     |
| 13       | विकिस आय                   |               | 24441028.00 | 56045913.00 | 148220410.89 | 129899007.00 | 158991724.37 | 214564760.00 | 515724199.59 | 426606253.88 | 341988575.45 | 108000607.00 |
|          | महायोग-                    |               |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |

प्रभागीय लीगिंग प्रबंधक (नन्दौर खनन)  
उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी